

फर्द अहकाम

(नियम 26)

## न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री नेमाराम पुत्र श्री चमनाजी

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी

जाति कोली

उपखण्ड अधिकारी सिरौही

निवासी मु. वास पो. दत्ताणी, तहसील रेवदर

जिला सिरौही।

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 18 वर्ष 2022

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
22.03.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरौही को दिनांक 19.01.2022 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि मौजा ग्राम दत्ताणी के खसरा संख्या 509 की भूमि आवंटन नं. 2287 दिनांक 07.07.1996 एवं खसरा संख्या 1067 की भूमि आवंटन दिनांक 29.04.1976 के आवंटन आदेशों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयवधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरौही को दिनांक 19.01.2022 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि मौजा ग्राम दत्ताणी के खसरा संख्या 509 की भूमि आवंटन नं. 2287 दिनांक 07.07.1996 एवं खसरा संख्या 1067 की भूमि आवंटन दिनांक 29.04.1976 के आवंटन आदेशों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत को चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर, सिरौही</p>	

